सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा:.सं. NCST/ATY-1596/UP/2/2024-APCR-RU-IV दिनांक : 28.03.2025

सेवा मे,

1 **आयुक्त,**
केन्द्रीय विद्यालय संगठन,
18, इंस्टीट्यूशनल एरिया,
शहीद जीत सिंह मार्ग,
नई दिल्ली -110016
Email Id: commissioner-kvs@gov.in

2 **पुलिस आयुक्त,**
जिला - गौतम बुद्ध नगर
पुलिस आयुक्त कार्यालय, गौतम बुद्ध नगर
सेक्टर 108, नोएडा,
उत्तर प्रदेश -201304
Email Id: cp-pol.gb@up.gov.in

विषय: केन्द्रीय विध्यालय सैक्टर 24 में अनुसूचित जनजाति बच्चों पर जातिसूचक गाली गलौच, अत्याचार के संबंध मे श्री देव दास, जिला गौतम बुद्धनगर, उत्तर प्रदेश का अभ्यावेदन।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीया सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 26.03.2025 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गए अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट की गई कार्रवाई / की रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

संलग्न:यथोपरि

भवदीय

(एच.आर .मीना/H.R.Meena)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer
Email ID : rahul.1424@ncst.nic.in

प्रति सूचनार्थ:

श्री देव दास,
मकान नं .14/13, पॉकेट 7,
सेक्टर-82, नोएडा,
जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश - 201304,
Mobile No:9999934488

(ii) PS to Humble Member (Dr. Asha Lakra)
(iii) NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा.सं. **NCST/ATY-1596/UP/2/2024-APCR**

श्री देव दास, जिला गौतम बुद्धनगर, उत्तर प्रदेश के अभ्यावेदन के मामले में दिनांक 26.03.2025 को 04:00 बजे आयोग मुख्यालय में आयोग की माननीय सदस्या (डॉ आशा लकड़ा) के समक्ष हुई सिटिंग का कार्यवृत।

सिटिंग की दिनांक : 26.03.2025 को सांय
सिटिंग में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-I के अनुसार।

शिकायतकर्ता श्री देवदास ने शिकायत दिनांक 25.01.2024 मे आयोग को बताया गया है कि उनकी बेटी केन्द्रीय विद्यालय सैक्टर 24, नोएडा जिला गौतमबुद्ध नगर में 11th कक्षा मे पढ़ती है। उनकी बेटी के साथ विद्यालय के टीचर जिसका नाम मनोरमा और फ़िज़िकल एजूकेशन टीचर अभिषेक चौधरी है उक्त अध्यापकों ने उनकी बेटी के साथ बुरी तरह से मार पिटाई की एंव कमरे मे बंद करके मानसिक व् शारीरिक रूप से परेशान किया गया तथा साथ ही उसे जातिगत गाली गलौच करते हुये मारने की धमकी दी है। इसके अलावा दिनांक 26.09.2023 को रवीद्र कुमार सिंह, नाम के व्यक्ति जोकि CRPF मे कार्यरत है ने आवेदक को फोन करके धमकाया व् जातिसूचक गलियां दी व् जान से मारने की धमकी दी । श्री रवीद्र कुमार सिंह , प्रिंसिपल और टीचर मनोरमा का दोस्त है। उसने आयोग के अनुरोध किया गया है की आरोपियों की खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाई किया जाये और उनको न्याय दिलवाया जाये।

2. मामले में आयोग ने नोटिस दिनांक 09.02.2024 के माध्यम से आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली और पुलिस आयुक्त, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।

3. आयोग के नोटिस के सन्दर्भ में केंद्रीय विद्यालय ने अपने जवाब दिनांक 04.03.2024 में बताया की श्री देवदास के बच्चों (दीपिका कुमारी – कक्षा 11, प्रवेशांक 15381 एवं कुणाल कुमार – कक्षा 5, प्रवेशांक 17998) को गैर तरीके से दाखिला लेने के कारण विद्यालय से निष्कासित किया गया जा चुका है

4. पुलिस कमिश्नरेट, गौतमबुद्धनगर ने अपने जवाब दिनांक 16.03.2024 में बताया की उन्होंने जांच में पाया है की यह दो बच्चियों के आपसी झगडे का मामला है तथा शिकायतकर्ता श्री देवदास का मामला सम्बन्धित न्यायालय में प्रक्रियाधीन है

आशा लकड़ा
डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

P.T.O

5. मामले में उक्त दोनों जवाब आयोग द्वारा प्रार्थी को सूचनार्थ भेजे गए थे जिनको ख़ारिज करते हुए प्रार्थी ने आयोग में पुन प्रत्युत्तर भेजे व् सुनवाई आयोजित करवाने हेतु निवेदन किया तत्पश्चात आयोग द्वारा आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन एंव पुलिस आयुक्त, गौतम बुद्ध नगर की 26.03.2025 at 04:00 PM की आयोग मुख्यालय में सुनवाई तय की गई।

6. सुनवाई में आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन व् पुलिस उपायुक्त, जिला गौतम बुद्ध नगर उपस्थित हुए। प्रार्थी व् उनकी पुत्री भी सुनवाई में उपस्थित रहे

7. आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन व् पुलिस उपायुक्त जिला गौतम बुद्ध नगर ने मामले को आयोग के समक्ष विस्तृत रूप से अवगत कराया तथा प्रार्थी को भी सुना गया।

8. मामले की सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाएं की जाती है :-

A. आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय ने बताया की केन्द्रीय विद्यालय संगठन प्रार्थी के बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है अत वे उनके दोनों बच्चों के सुखद भविष्य हेतु इसी आगामी सत्र (2025-26) में PM श्री केन्द्रीय विद्यालय, ग्रेटर नोएडा, उत्तरप्रदेश में दाखिला देने हेतु तैयार है इस हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के उपायुक्त श्री बिनोद कुमार बेहरा बच्चों के दाखिले के विषय में समन्वय स्थापित करके उनके दाखिले को सुनिश्चित करेंगे। इस हेतु अभिभावक केन्द्रीय विद्यालय संगठन को बच्चो के पिछले सत्र(2024-25) के स्थानांतरण प्रमाण पत्र (T.C) उपलब्ध कराएँगे तथा साथ ही प्रार्थी श्री देवदास इस विषय में स्कूल की तरफ से आगे शिकायत का मौका नही देंगे ऐसा उन्होंने सुनवाई में आयोग को आश्वासन दिया है

B. पुलिस कमिश्नरेट, गौतमबुद्धनगर इस विषय में लंबित मामलो का नियमानुसार निष्पादन करेंगे।

C. इस मामले में आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन के माध्यम से 30 दिवस में निष्पादन रिपोर्ट आयोग को प्रेषित की जाएगी एंव उसके पश्चात यह मामला आयोग में बंद कर दिया जायेगा

आशा लकड़ा
27/08/2025

(डॉ आशा लकड़ा)

सदस्य

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

Attendance Sheet
National Commission for Scheduled Tribes

NCST/ATY-1596/UP/2/2024-APCR-RU-IV

Sitting to be held on **26.03.2025 at 04:00 P.M** - केन्द्रीय विध्यालय सैक्टर 24 में अनुसूचित जनजाति बच्चों पर जातिसूचक गाली गलौच, अत्याचार के संबंध मे श्री देव दास, जिला गौतम बुद्धनगर, उत्तर प्रदेश का अभ्यावेदन।

Sl. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
I	**National Commission for Scheduled Tribes**		
1.	Dr. Asha Lakra Hon'ble Member	In Chair	
2.			
3	H.R. Meena Research Officer		
4.	Shri Rahul Investigator		
5.	Shri Rahul Yadav Legal Consultant		
6.			
7.			
8.			
II	**Officers from O/o Commissioner, Kendriya Vidyalay Sangathan**		
1.	Nidhi Pandey Comm. KVS	[illegible]	[signature]
2.	Dr. P. DEVAKUMAR JC (Acad), KVS.	[illegible]	[signature]
3.	Binod Kumar Behera	[illegible]	[signature]
III	**Officers from O/o Commissioner of Police, District Gautam Budh Nagar**		
1.	K.B. Singh DCP NOIDA	[illegible]	[signature]
2.			
3.			
III	**Petitioners**		
1.	देवदास	9999934488	देवदास
2.			